


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 6 (6) / एफ. डी./रूल्स /2010 दिनांक 25.04.2012 के अंतर्गत मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी(CMHO), पाली (की अभिशंषा के आधार पर श्री गजेन्द्र सिंह पंवार –व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भाटून्द, पाली को दिनांक 05.11.2019 से उनके मूल वेतन का छः (6) प्रतिशत जो अधिकतम 600/- प्रतिमाह, दोनों में जो भी कम है, की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है ।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)


IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-6/रावि/विकलांग भत्ता/2018 दिनांक:- 26/11/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- 65

1. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. प्रधानाचार्य राउमावि भाटून्द, पाली ।
5. श्री गजेन्द्र सिंह पंवार, व्या.राजनीति विज्ञान, राउमावि भाटून्द, पाली रजिस्टर्ड डाक से (संलग्न विकलांग प्रमाण पत्र मूल प्रति)।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर